कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 34 / 2023

श्री आकाश तेनगुरिया एडवोकेट निवासी 308, बजरंग नगर, भगवान टॉकीज के सामने भरतपुर ...... अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी सचिव, नगर सुधार न्यास, भरतपुर .... रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 28.07.2023

अपीलार्थी श्री आकाश तेनगुरिया एडवोकेट निवासी 308, बजरंग नगर, भगवान टॉकीज के सामने भरतपुर ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास भरतपुर के विरूद्ध पेश की गई है।

प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी से इस कार्यालय के पत्रांक कोर्ट / 23 / 454 दिनांक 07.07.2023 से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराने अथवा नहीं कराने के सम्बन्ध में रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी सचिव, नगर सुधार न्यास, भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्रांक नियमन / 2023 / 7725 दिनांक 27.07.2023 को शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपनी अपील में अंकित किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा जानबूझ कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। लोक सूचना अधिकारी नगर सुधार न्यास, भरतपुर से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी के जबाब पत्रांक नियमन / 2023 / 7725 दिनांक 27.07.2023 में अंकित किया है कि "पत्रावली में यदि कोई दस्तावेज फोटो प्रति के रूप में पेश है जो अन्य कार्यालय की है तो उसकी नकल

नहीं दी जा सकती है, यदि तृतीय पक्ष के व्यक्तिगत दस्तावेज हैं तो बिना तृतीय पक्ष की सहमति के उनके दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं दी जा सकती है''। लोक सूचना अधिकारी ने अपने जवाब में कहीं भी यह अंकित नहीं किया है उक्त कथन के सम्बन्ध में अपीलार्थी को सूचना दे दी गई है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे भविष्य में सूचना दिये जाने अथवा नहीं दिये जाने बाबत् प्रार्थी को सूचित करें। अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है, साथ ही अपीलार्थी को निर्णय की प्रति (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जवाब की फोटो प्रति के साथ) प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अन्दर 15 दिवस में लोक सूचना अधिकारी कार्यालय में, कार्यालय समय में उपस्थित होकर सूचना का अवलोकन कर चाही गई सूचना को चिन्हित करें। साथ ही लोक सूचना अधिकारी नगर सुधार न्यास, भरतपुर को निर्णय की प्रति इस आशय के साथ प्रेषित हो कि वह अपीलार्थी द्वारा चिन्हित की गई सूचना, राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के तहत बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये नियमानुसार सूचना उपलब्ध करावें। अपीलार्थी निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर राज्य सूचना आयोग जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर के यहॉ अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

लोक बंधु
(जिला कलक्टर)
भरतपुर